



नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा द्वारा  
संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: [paramedicalgmckhandwa@gmail.com](mailto:paramedicalgmckhandwa@gmail.com), Website: [www.gmckhandwa.org](http://www.gmckhandwa.org)

क्रमांक / J003 / पैरामेडिकल / नं.सि.चौ.शा.चि.म. / 2025

खण्डवा, दिनांक : 08/02/25

// प्रवेश संबंधी सूचना //

नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों में प्राप्त आवेदनों की स्क्रीनिंग किये जाने के पश्चात् योग्य आवेदकों की मेरिट लिस्ट का प्रकाशन महाविद्यालय की वेबसाइट [www.gmckhandwa.org](http://www.gmckhandwa.org) /नोटिस बोर्ड पर दिनांक 08 फरवरी 2025 को किया जा रहा है।

**चयन प्रक्रिया :-** मध्यप्रदेश सह-चिकित्सीय परिषद भोपाल द्वारा जारी मध्यप्रदेश राजपत्र, असाधारण भोपाल प्रकाशित दिनांक 08 अक्टूबर 2021 में उल्लेखित प्रवेश नियमों एवं महाविद्यालय द्वारा शिक्षण सत्र 2023-24 तैयार प्रवेश विवरणिका (महाविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध) के नियमानुसार की जावेंगी।

काउंसलिंग के दौरान विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत उपलब्ध पाठ्यक्रमों (डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र) की उपलब्ध सीटों को प्रदर्शित किया जावेगा तथा मेरिट के आधार पर आवेदक को अपनी इच्छानुसार पाठ्यक्रम चयन करने की स्वतंत्रता होगी।

**Seat Matrix (पैरामेडिकल पाठ्यक्रम) शैक्षणिक सत्र 2023-24**

Sr. No.	Course	Sanctioned Post	UR			OBC			ST			SC			EWS		
			Open	Female	PH	Open	Female	PH	Open	Female	PH	Open	Female	PH	Open	Female	PH
1	Bachelor in Medical Lab Technician (BMLT)	20	4	2	0	3	2	0	3	1	0	2	1	0	1	1	0
2	Diploma in Ophthalmic Assistant	10	1	1	0	2	1	0	1	1	0	1*	1	0	1	0	0
3	Certificate Course in Operation Theater Technician	7	1	1*	0	1	1	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
4	Certificate Course in Ortho. Technician	6	1	0	0	1	1	0	1*	0	0	1	0	0	1	0	0
<b>Total</b>		<b>43</b>	<b>07</b>	<b>04</b>	<b>0</b>	<b>07</b>	<b>05</b>	<b>0</b>	<b>06</b>	<b>02</b>	<b>0</b>	<b>05</b>	<b>02</b>	<b>0</b>	<b>04</b>	<b>01</b>	<b>0</b>

उपरोक्त पाठ्यक्रमों में स्वीकृत सीटों का आरक्षण का लाभ मध्यप्रदेश शासन के नियमानुसार (केवल म.प्र. के मूल निवासी) किया गया है। नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारियों को डिप्लोमा एवं सर्टिफिकेट पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 10% सीट आरक्षित की गई है।

\* लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग में कार्यरत पात्र पैरामेडिकल कर्मचारियों हेतु आरक्षित है, उक्त श्रेणी में नियमित सेवारत शासकीय कर्मचारी पात्र उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होने पर उसी श्रेणी के उम्मीदवार द्वारा सीट प्रथम काउंसलिंग में भरी जावेगी।

EWS के समस्त अभ्यर्थियों के काउंसलिंग प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात शेष रिक्त सीटों को नियमानुसार अनारक्षित श्रेणी में परिवर्तित कर मेरिट सूची अनुसार प्रथम काउंसलिंग में भरी जावेगी।



नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा द्वारा  
संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: [paramedicalgmckhandwa@gmail.com](mailto:paramedicalgmckhandwa@gmail.com), Website: [www.gmckhandwa.org](http://www.gmckhandwa.org)

प्रथम काउंसलिंग दिनांक:- 11 फरवरी 2025 से 12 फरवरी 2025

रजिस्ट्रेशन समय :- सुबह 9:00 से 10:00 बजे तक

(रजिस्ट्रेशन हेतु निर्धारित समय पर उपस्थित होना अनिवार्य है, अनुपस्थित होने की स्थिति में आवेदक के सीट का दावा निरस्त हो जावेगा)

काउंसलिंग समय :- सुबह 10:00 बजे से

स्थान :- द्वितीय तल लेक्चर हॉल – तीन एवं चार, नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा।

काउंसलिंग के दौरान स्कूटनी समिति द्वारा उम्मीदवारों के निम्नलिखित मूल दस्तावेजों (Original Documents) की जांच की जावेगी। मूल दस्तावेजों के अभाव में अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र नहीं होंगे।

1. 10 वीं कक्षा की अंकसूची।
2. 12 वीं (10+2) कक्षा की अंकसूची।
3. स्थानांतरण प्रमाण-पत्र।
4. माईग्रेशन प्रमाण-पत्र।
5. डिजीटल मूलनिवासी प्रमाण-पत्र।
6. जन्म प्रमाण पत्र (10 वीं कक्षा की अंकसूची में जन्मतिथि अंकित ना होने पर)।
7. डिजीटल जाति प्रमाण-पत्र केवल आरक्षित वर्ग के लिए।
8. वैध आय प्रमाण-पत्र।
9. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रमाण पत्र (EWS Certificate, जो कि वैध हो)।
10. विभागीय कर्मचारियों के लिए मूल नियोक्ता द्वारा जारी एन.ओ.सी. की मूलप्रति।
11. सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट।
12. गेप सर्टिफिकेट (यदि आवेदक ने वर्ष 2024 से पहले 12 वी कक्षा उत्तीर्ण की है)
13. आधार कार्ड।
14. समग्र आई.डी.।
15. बैंक पासबुक। (कियोस्क बैंक खाता स्वीकार नहीं होगा।)

प्रथम चरण काउंसलिंग प्रक्रिया की तिथियाँ एवं समय निम्नानुसार होगा :-

क्र.	काउंसलिंग की तिथियाँ	काउंसलिंग का समय	मेरिट लिस्ट
1	11 फरवरी 2025	रजिस्ट्रेशन- प्रातः 09:00 से 10:00 काउंसलिंग- प्रातः 10:00 बजे से	(अ) समस्त विभागीय अभ्यर्थी (In-service candidate) (ब) समस्त EWS अभ्यर्थी (स) मेरिट क्रमांक 01 से 80 तक के अभ्यर्थी
2	12 फरवरी 2025	रजिस्ट्रेशन- प्रातः 09:00 से 10:00 काउंसलिंग- प्रातः 10:00 बजे से	मेरिट क्रमांक 81 से 114 तक के अभ्यर्थी

मेरिट लिस्ट से संबंधित किसी भी प्रकार की आपत्ति होने की स्थिति में दिनांक 10 फरवरी 2025 को सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक महाविद्यालय के ईमेल [deangmckhandwa@gmail.com](mailto:deangmckhandwa@gmail.com) एवं स्वयं उपस्थित होकर लिखित रूप से कार्यालय अधिष्ठाता, नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा मे दर्ज कराई जा सकती है। उक्त नियत समय एवं दिनांक के पश्चात् किसी भी प्रकार की आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।



# नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा द्वारा संचालित पैरामेडिकल पाठ्यक्रम

लव-कुश नगर, मूंदी रोड़, खण्डवा (म.प्र.), दूरभाष-0733-2245000, Fax-0733-2245001

Email: [paramedicalgmckhandwa@gmail.com](mailto:paramedicalgmckhandwa@gmail.com), Website: [www.gmckhandwa.org](http://www.gmckhandwa.org)

नोट :-

1. काउंसलिंग हेतु अभ्यर्थी को निर्धारित तिथि एवं समय पर उपस्थित होना अनिवार्य होगा। नियत समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में सीट मेरिट के आधार पर आवंटित कर दी जावेगी, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी।
2. काउंसलिंग में सीट आवंटित होने पर सभी वर्ग के अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम की पूर्ण फीस एकमुश्त Online माध्यम से नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा के **स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, खण्डवा बैंक खाता क्रमांक 37773559136 (IFSC Code- SBIN0012159)** में जमा करवानी होगी, अन्यथा सीट आवंटन रद्द हो जाएगा।
3. छात्रवृत्ति का लाभ मध्यप्रदेश शासन एवं मध्यप्रदेश पैरामेडिकल काउंसिल भोपाल के नियमानुसार एवं निर्देशानुसार प्रवेश के पश्चात् प्राप्त होगा।
4. काउंसलिंग में भाग लेने वाले अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के दौरान डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम में से किसी भी पाठ्यक्रम में उपलब्धता अनुसार प्रवेश मिल सकता है जिसकी पूर्ण फीस प्रवेश के समय एकमुश्त ऑनलाईन माध्यम से जमा करनी है। अतः समस्त अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि उन्हें डिग्री पाठ्यक्रम हेतु आवश्यक फीस साथ लाना चाहिए जिससे की प्रवेश के समय किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो।
5. EWS श्रेणी में प्रवेश लेने हेतु निर्धारित प्रारूप में पात्र अनारक्षित उम्मीदवारों को EWS प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना होगा।
6. काउंसलिंग के दौरान प्रवेशित अभ्यर्थियों को सीट लिविंग बाण्ड (500 के स्टाम्प पर) राशि रुपये 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार) डिग्री पाठ्यक्रम हेतु एवं राशि रुपये 50,000 (पचास हजार) डिप्लोमा पाठ्यक्रम हेतु जमा करना अनिवार्य है।
7. काउंसलिंग के दौरान स्थानांतरण (TC) एवं माइग्रेशन सर्टिफिकेट मूल दस्तावेजों के अभाव हेतु एफिडेविट प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
8. काउंसलिंग के दौरान प्रवेशित अभ्यर्थियों को सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है।
9. काउंसलिंग के दौरान प्रवेशित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग फीस रु. 600/- काउंसलिंग के समय जमा करवाना अनिवार्य होगा।
10. काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग समिति द्वारा समय-समय पर दिये जा रहे निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
11. काउंसलिंग के दौरान काउंसलिंग हॉल में अभ्यर्थी के साथ केवल एक व्यक्ति (माता/पिता/अभिभावक) को प्रवेश की अनुमति होगी।
12. उपरोक्त प्रक्रिया में किसी भी प्रकार के संभावित परिवर्तन की सूचना चिकित्सा महाविद्यालय खण्डवा की वेबसाइट [www.gmckhandwa.org](http://www.gmckhandwa.org) / नोटिस बोर्ड पर उपलब्ध रहेगी। कृपया समय-समय पर अवलोकन करते हैं।
13. प्रवेश संबंधी नियमों में किसी भी प्रकार के परिवर्तन के समस्त अधिकार नंदकुमार सिंह चौहान शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, खण्डवा के पास सुरक्षित रहेंगे।
14. काउंसलिंग में भाग लेना प्रवेश की गारंटी नहीं है, मेरिट अनुसार सीट उपलब्ध होने पर ही प्रवेश प्रदान किया जावेगा।

(डॉ. संजय कुमार दादु)

अधिष्ठाता एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
नंदकुमार सिंह चौहान शा.चि.म. खण्डवा